24/01/2020

श्रीमि लाबूराम

गोरधनराम

बाबूलाल

हेमाराम

रूपाराम

अभिभाषक प्रतिवादी सं 1 से 5 पद चाल्ताम

सुगणाराम

L.T.I. ओमाराम

बारमाराम

देवाराम

चेताराम

L.T.I. [illegible]

पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया। तथा वादी व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। प्रस्तुत राजीनामे में वर्णित शर्तों के अनुसार व राजीनामे में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम मथानिया की वादग्रस्त भूमि बाबत विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग किया जावें तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसी आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो, पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। राजीनामा व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible stamp]

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 58 / 2019

वादीः— लाबूराम पुत्र श्री मगाराम, जाति माली निवासी मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. गोरधनराम पुत्र श्री गुलाबराम
2. बाबुलाल पुत्र श्री गुलाबराम
3. हेमाराम पुत्र श्री गुलाबराम
4. रूपाराम पुत्र श्री गुलाबराम
5. पेमाराम पुत्र श्री गुलाबराम
6. लुणाराम पुत्र श्री खेमाराम
7. ओमाराम पुत्र श्री खेमाराम
8. बिरमाराम पुत्र श्री खेमाराम
9. गंगाराम पुत्र श्री खेमाराम
10. हीराराम पुत्र श्री खेमाराम
11. खेताराम पुत्र श्री हरसुखराम
12. रतनाराम पुत्र श्री हरसुखराम
13. प्रभुराम पुत्र श्री हरसुखराम
14. आसुराम पुत्र श्री हरसुखराम
15. राजादेवी पत्नी श्री हरसुखराम
    जातियान माली, निवासी मथानिया
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
16. तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित —

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल कच्छवाह
प्रतिवादी संख्या 6 से 10 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 11 से 13 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी
प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

—::निर्णय::—

नाड़ाध्य क. कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

दिनांक:— 29/01/2020

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— तहसील तिंवरी के ग्राम मथानिया प्रथम की सरहद में खसरा नंम्बर 813/3 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा खसरा नम्बर 812 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 813/4 रकबा 05 बिस्वा चाही प्रथम की भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 813 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 815 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 827 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 813/1 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 814 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 827/1 रकबा 15 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 813/2 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त वाद अधीन आराजी खातेदारी जमीन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग—अलग बट्टा नम्बरों के रूप में दर्ज है परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की हुई है। उक्त भूमि जोधपुर मथानिया बाईपास पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपने—अपने हिस्से के अनुसार मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया हुआ हैं तथा बंटवाड़ा अनुसार सभी का अलग—अलग कब्जा व काश्त है। नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है तथा उसके अनुसार ही आज दिन तक मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी—अपनी कब्जे की भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। नजरी नक्शे अनुसार अन्य सभी खातेदारान की खातेदारी भूमि बाईपास सड़क से लगती हुई है जबकि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 813/3 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि बाईपास सड़क से मात्र 30 फिट चौड़े रास्ते को टच करती हुई खसरा नम्बर 813/2 व 813/4 की भूमि के पीछे स्थित है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रास्ता छोड़ते हुए राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा यही कहते रहे कि जब भी मौका मिलेगा तब वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवा देंगे। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा समस्त राजस्व गांवों में राजस्व रेकर्ड में अलग—अलग दर्ज बट्टा नम्बरों की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व सभी खातेदारान के आवागमन के रास्ते सहित ट्रेस नक्शा में तरमीम का अभियान चल रहा है। दिनांक 20.06.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादी के आवागमन हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रास्ता छोड़ते हुए विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को मौके से बेदखली की एलानिया

सहायक कलक्टर, ग्रामसेवा

Scanned by CamScanner

धमकी दी। वादी ने गांव के मुखिया को भी साथ लेकर प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा आवागमन का रास्ता छोड़ते हुए राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करने के लिए कहा था परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और प्रतिवादीगण ने वादी को बेदखली की एलानिया धमकी दी और मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा आवागमन का रास्ता छोड़कर राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं तथा अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर पर वादी को ही होगी। वादी ने अपने वाद में वाद कारण दिनांक 20.06.2019 को उत्पन्न होना बताया है। वादी ने इस्तदुआ चाही कि वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 813/3 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि ग्राम मथानिया प्रथम तहसील तिंवरी का वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए विभाजन किया जाकर वादी की भूमि अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व किये जाने का आदेश सादिर फरमावें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल कच्छवाह, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 11 से 13 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी, प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम करवाकर पूर्ण रूप से सीमांकन कार्य करवाया जाकर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है साथ ही अपने हिस्से की भूमि पर जहां कब्जा है वहां खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 11 से 13 व 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया राजीनामा के साथ में नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाकर कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी घोषित करवाकर ट्रेस नक्शा में तरमीम करवाने की आपसी सहमति जरिये राजीनामा पेश की।

यह है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे में वर्णित तथ्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाने हेतु वादी व प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है।

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः वाद पत्र में प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित शर्तोनुसार व राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ग्राम मथानिया की वादग्रस्त भूमि बाबत् विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा अलग किया जावें तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें इसी आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो, पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर लिखा जावें। राजीनामा व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 29/01/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी

डिगरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास **रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लाबूराम		गोरधनराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 58 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान बहाजरी श्री राजेश खीचड़ एडवोकेट मिनजानिब मुदई, प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल कच्छवाह, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 11 से 13 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी, मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 813/3 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 812 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 813/4 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 813 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 815 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 827 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 813/1 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 814 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 827/1 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 813/2 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मथानिया बाबत् वाद में प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदारी भूमि विभाजित की जाती है इसी अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम की जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से की विभाजित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी से करावें तथा प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा इस डिक्री का भाग समझा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। उपरोक्त अनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निज.................................... मुबलिग..बाबत्................................ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.. को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......................... को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर ओसियां

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner